रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112022-240045
CG-DL-E-04112022-240045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4941] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2022/कार्तिक 13, 1944
No. 4941] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2022/KARTIKA 13, 1944

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

का.आ. 5160(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 31 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के कतिपय उपबंधों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के वित्तीय उत्पाद, वित्तीय सेवाएं या वित्तीय संस्थाओं में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन लागू करने के लिए निदेश करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	**कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंध**	**अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पाद, वित्तीय सेवाएं या वित्तीय संस्थाओं के लिए अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन**
(1)	(2)	(3)
1.	अध्याय 1, धारा 2 का खंड (1)	धारा 2 के खंड (1) में "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।
2.	अध्याय 2, धारा 13 की उपधारा (8) का खंड (ii)	धारा 13 की उपधारा (8) के खंड (ii) में "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।

3.	अध्याय 3, धारा 24	धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को रखे जाएंगे, अर्थात्: "24. प्रतिभूतियों, आदि के निर्गमन और अंतरण को विनियमित करने की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की शक्ति – (1) इस अध्याय, अध्याय 4 और धारा 127 में अंतर्विष्ट उपबंधों को- (क) जहां तक उनका संबंध सूचीबद्ध कंपनियों या उन कंपनियों द्वारा जिनका आशय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना है- (i) प्रतिभूतियों के निर्गमन और अंतरण; और (ii) लाभांश का असंदाय, से है इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त विनियम बनाकर प्रशासित किया जाएगा, (ख) किसी अन्य मामले में, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित किया जाएगा। **स्पष्टीकरण-** शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि प्रॉस्पेक्टस, आबंटन की विवरणी, अधिमानी शेयरों के मोचन से संबंधित सभी अन्य मामलों और इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित किसी अन्य मामले से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, अधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। (2) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट मामलों के बाबत, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 13 के अधीन उसे प्रदत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 की उपधारा (1), उपधारा (2क), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11क, धारा 11ख और धारा 11घ के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा।
4.	अध्याय 3, धारा 26 की उपधारा (1)	धारा 26 की उपधारा (1) में "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।
5.	अध्याय 3, धारा 26 की उपधारा (1) में परंतुक	धारा 26 की उपधारा (1) के परंतुक में "जब तक प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनिर्दिष्ट करता है" शब्दों के स्थान पर " जब तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करता है" शब्द रखे जाएंगे।
6.	अध्याय 3, धारा 27 की उपधारा (2)	धारा 27 की उपधारा (2) में "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।
7.	अध्याय 3, धारा 31 की उपधारा (1)	धारा 31 की उपधारा (1) में "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।

8.	अध्याय 3, धारा 32 की उपधारा (4)	धारा 32 की उपधारा (4) में "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।
9.	अध्याय 3, धारा 39 की उपधारा (2)	धारा 39 की उपधारा (2) में "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।
10.	अध्याय 3, धारा 39 की उपधारा (3)	धारा 39 की उपधारा (3) में "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।
11.	अध्याय 3, धारा 40 की उपधारा (3) का खंड (ख)	धारा 40 की उपधारा (3) के खंड (ख) में "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।
12.	अध्याय 3, धारा 42 की उपधारा (3) का स्पष्टीकरण II	धारा 42 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण II के अंत में निम्नलिखित शब्द, "जब तक इस संबंध में विनियमन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट न हो" अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
13.	अध्याय 4, धारा 54 की उपधारा (1) का खंड (घ)	धारा 54 की उपधारा (1) का खंड (घ) में, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।
14.	अध्याय 4, धारा 59 की उपधारा (4)	धारा 59 की उपधारा (4) में, "प्रतिभूतियों के धारक या प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
15.	अध्याय 4, धारा 66 की उपधारा (2)	धारा 66 की उपधारा (2) में, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
16.	अध्याय 4, धारा 66 की उपधारा (2) में परंतुक	धारा 66 की उपधारा (2) में परंतुक, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
17.	अध्याय 4, धारा 68 की उपधारा (2) का खंड (च)	"धारा 68 की उपधारा (2) का खंड (च) में, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
18.	अध्याय 4, धारा 68 की उपधारा (6)	धारा 68 की उपधारा (6) में, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
19.	अध्याय 4, धारा 68 की उपधारा (10)	धारा 68 की उपधारा (10) में, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
20.	अध्याय 4, धारा 68 की उपधारा (11)	धारा 68 की उपधारा (11) में, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
21.	अध्याय 7, धारा 91 की उपधारा (1)	धारा 91 की उपधारा (1) में, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

22.	अध्याय 15, धारा 230 की उपधारा (3) में पहले परंतुक	धारा 230 की उपधारा (3) में पहले परंतुक, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
23.	अध्याय 15, धारा 230 की उपधारा (5)	धारा 230 की उपधारा (5) में, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
24.	अध्याय 15, धारा 230 की उपधारा (11) में परंतुक	धारा 230 की उपधारा (11) में परंतुक, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
25.	अध्याय 15, धारा 232 की उपधारा (3) के खंड (ज) के उप-खंड (ii) में परंतुक	धारा 232 की उपधारा (3) के खंड (ज) के उप-खंड (ii) में परंतुक, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
26.	अध्याय 15, धारा 236 की उपधारा (8) के स्पष्टीकरण	धारा 236 की उपधारा (8) के स्पष्टीकरण में, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
27.	अध्याय 15, धारा 236 की उपधारा (9) का खंड (ख)	धारा 236 की उपधारा (9) के खंड (ख) में, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
28.	अध्याय 28, धारा 439 की उपधारा (2) में पहले परंतुक	धारा 439 की उपधारा (2) में पहले परंतुक, "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के पश्चात् "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या दोनों यथास्थिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 10/6/2010-ईसीबी-भाग(1)]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2022

S.O. 5160(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby directs that certain provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) as specified in column (2) of the table below, shall apply with such exceptions, modifications and adaptations as specified in column (3) of the said table, to financial products, financial services or financial institutions in an International Financial Services Centre, namely:—

TABLE

Sl. No.	**Provisions of Companies Act, 2013**	**Exceptions, modifications and adaptations for financial products, financial services or financial institutions in an International Financial Services Centre**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Chapter I, clause (1) of section 2	In clause (1) of section 2, for the words "Securities and Exchange Board", the words "International Financial Services Centres Authority" shall be substituted.
2.	Chapter II, clause (ii) of sub-section (8) of section 13	In clause (ii) of sub-section (8) of section 13, for the words "Securities and Exchange Board", the words "International Financial Services Centres

		Authority" shall be substituted.
3.	Chapter III, section 24	For section 24, the following section shall be substituted, namely:- "24. Power of International Financial Services Centres Authority to regulate issue and transfer of securities, etc.— (1) The provisions contained in this Chapter, Chapter IV and in section 127 shall,— a. in so far as they relate to — i. issue and transfer of securities; and ii. non-payment of dividend, by listed companies or those companies which intend to get their securities listed on any recognised stock exchange in an International Financial Services Centre, except as provided under this Act be administered by the International Financial Services Centres Authority by making regulations in this behalf; b. in any other case, be administered by the Central Government. **Explanation.**—For the removal of doubts, it is hereby declared that all powers relating to all other matters relating to prospectus, return of allotment, redemption of preference shares and any other matter specifically provided in this Act, shall be exercised by the Central Government, the Tribunal or the Registrar, as the case may be. (2) The International Financial Services Centres Authority shall, in respect of matters specified in sub-section (1), exercise the powers under sub-sections (1), (2A), (3) and (4) of section 11, sections 11A, 11B and 11D of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), as conferred upon it under section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).".
4.	Chapter III, sub- section (1) of section 26	In sub-section (1) of section 26, for the words "Securities and Exchange Board", the words "International Financial Services Centres Authority" shall be substituted
5.	Chapter III, proviso to sub-section (1) of section 26	In the proviso to sub-section (1) of section 26, for the words "until the Securities and Exchange Board specifies", the words "until the International Financial Services Centres Authority specifies" shall be substituted.
6.	Chapter III, sub- section (2) of section 27	In sub-section (2) of section 27, for the words "Securities and Exchange Board", the words "International Financial Services Centres Authority" shall be substituted.
7.	Chapter III, sub- section (1) of section 31	In sub-section (1) of section 31, for the words "Securities and Exchange Board", the words "International Financial Services Centres Authority" shall be substituted.
8.	Chapter III, sub- section (4) of section 32	In sub-section (4) of section 32, for the words "Securities and Exchange Board", the words "International Financial Services Centres Authority" shall be substituted.
9.	Chapter III, sub-section (2) of section 39	In sub-section (2) of section 39, for the words "Securities and Exchange Board", the words "International Financial Services Centres Authority" shall be substituted.
10.	Chapter III, sub-section (3) of section 39	In sub-section (3) of section 39, for the words "Securities and Exchange Board", the words "International Financial Services Centres Authority" shall be substituted.
11.	Chapter III, clause (b) of Sub-Section (3) of Section 40	In clause (b) of sub-section (3) of section 40, for the words "Securities and Exchange Board", the words "International Financial Services Centres Authority" shall be substituted.
12.	Chapter III, Explanation II of sub-section (3) of section 42	In Explanation II of sub-section (3) of section 42, the following words shall be inserted at the end, "unless regulations in this regard are specified by the International Financial Services Centres Authority".
13.	Chapter IV, clause (d) of sub-section (1) of section 54.	In clause (d) of sub-section (1) of section 54, for the words "Securities and Exchange Board", the words "International Financial Services Centres Authority" shall be substituted.
14.	Chapter IV, sub- section (4) of section 59.	In sub-section (4) of section 59, after the words "the holder of the securities or the Securities and Exchange Board", the words "or International Financial Services Centres Authority" shall be inserted.
15.	Chapter IV, sub- section (2) of	In sub-section (2) of section 66, after the words "Securities and Exchange Board", the words "or International Financial Services Centres Authority, or

	section 66.	both, as the case may be" shall be inserted.
16.	Chapter IV, proviso to sub-section (2) of section 66.	In the proviso to sub-section (2) of section 66, after the words "Securities and Exchange Board", the words " , International Financial Services Centres Authority" shall be inserted.
17.	Chapter IV, clause (f) of sub-section (2) of section 68.	In clause (f) of sub-section (2) of section 68, after the words "Securities and Exchange Board", the words "or International Financial Services Centres Authority, or both, as the case may be" shall be inserted.
18.	Chapter IV, sub-section (6) of section 68.	In sub-section (6) of section 68, after the words "Securities and Exchange Board", the words "or International Financial Services Centres Authority, or both, as the case may be" shall be inserted.
19.	Chapter IV, sub-section (10) of section 68.	In sub-section (10) of section 68, after the words "Securities and Exchange Board", the words "or International Financial Services Centres Authority, or both, as the case may be" shall be inserted.
20.	Chapter IV, sub-section (11) of section 68.	In sub-section (11) of section 68, after the words "Securities and Exchange Board", the words "or International Financial Services Centres Authority, or both, as the case may be" shall be inserted.
21.	Chapter VII, sub- section (1) of section 91.	In the sub-section (1) of section 91, after the words "Securities and Exchange Board", the words "or International Financial Services Centres Authority, or both, as the case may be" shall be inserted.
22.	Chapter XV, first proviso to sub-section (3) of section 230.	In first proviso to sub-section (3) of section 230, after the words "Securities and Exchange Board", the words "or International Financial Services Centres Authority, or both, as the case may be" shall be inserted.
23.	Chapter XV, sub-section (5) ofsection 230.	In sub-section (5) of section 230, after the words "Securities and Exchange Board", the words "or International Financial Services Centres Authority, or both, as the case may be" shall be inserted.
24.	Chapter XV, proviso to sub-section (11) of section 230.	In the proviso to sub-section (11) of section 230, after the words "Securities and Exchange Board", the words "or International Financial Services Centres Authority, or both, as the case may be" shall be inserted.
25.	Chapter XV, proviso to sub-clause (B) of clause (h) of sub-section (3) of section 232.	In the proviso to sub-clause (B) of clause (h) of sub-section (3) of section 232, after the words "Securities and Exchange Board", the words "or International Financial Services Centres Authority, or both, as the case may be," shall be inserted.
26.	Chapter XV, Explanation to sub-section (8) of section 236.	In the Explanation to sub-section (8) of section 236, after the word and figure "Regulations 1997," the following words shall be inserted "unless regulations in this regard are specified by the International Financial Services Centres Authority".
27.	Chapter XV, clause (b) of sub-section (9) ofsection 236.	In clause (b) of sub-section (9) of section 236, after the words "Securities and Exchange Board", the words "or International Financial Services Centres Authority, or both, as the case may be," shall be inserted.
28.	Chapter XXVIII, first proviso to sub-section (2) of section 439.	In the first proviso to sub-section (2) of section 439, after the words "Securities and Exchange Board of India", the words "or International Financial Services Centres Authority" shall be inserted.

[F. No. 10/6/2010-ECB-Part (1)]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.04 22:17:01 +05'30'